

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०सं०-०४/२०१२ २/२

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, याँत्रिक;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता –सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: ११.३.१३

विषय :— मॉग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—८०—सामान्य, लघु शीर्ष—८००—अन्य व्यय, उप शीर्ष—४६—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४३ अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण विप्र कोड—४९P470180800460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट १ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किय जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विप्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०—सामान्य/	८००—अन्य व्यय/ सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	४६— ०५—निर्माण / ४३ अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण ४९P470180800460543	2.44

आवंटित राशि – ₹ दो लाख चौवालीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ६५०.०० लाख (छ: करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२ दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में अंकित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्ष स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विप्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विप्र/चेक निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विप्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विप्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि के निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विप्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

SACL(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंताG9(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)SL(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)BSN(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त।

११
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 2/2 रॉची, दिनांक :— 11-3-13
प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हकू.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी रॉची / डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त।

११
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 2/2 रॉची, दिनांक :— 11-3-13
प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजन एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग के पाँच प्रति/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त।

११.८६ ८६ ११४५ ११४५ ११४५
(सुरेश प्रसाद भगत) (जयप्रकाश भट्टाचार्या) (सुबोध कुमार सिन्हा) (बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)
सहायक अभियंता उप सचिव (अभि.) संयुक्त सचिव (अभि.) विशेष सचिव प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक 2/2

मार्ग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर फूलीगात परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्व्यापन ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुरक्षण, 49P470180800460543

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 650.00 लाख (₹ करोड़ पचास लाख) लाग्ये भावन।

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियांत्र	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2012 तक का स्तरमें 11 में बर्णित कार्य पर व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	अन्युकृति
			राशि	प्रसंग		राशि	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची	यांत्रिक	वर्ष 10-11 में विभागीय रूप से रही विभिन्न योजनाओं का समान्य संपोषण / अनुरक्षण एवं अन्य कर्णकित कार्य	360.000 15/10-11 प्र०खी० दिनांक- 30.08.10	8.47655 0.000 2.440	2.440 2.440 2.440	2.440	धन सिंह टोली जलाशय योजना के कार्यालय यांत्रिक कार्य
			कुल योग	0.000	2.440	2.440	2.440	

आवंटित राशि - ₹ दो लाख चौवालीस हजार भावन।

(ज्योति प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

(मुख्य कुमार सिन्हा)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० कें० शतपथी)

प्रधान सचिव